

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/1947 /

जबलपुर, दिनांक 21/04/2023

श्रीमति प्रगति मिश्रा, Junior Judicial Translator, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 11.10.2022 से 08.04.2023 तक 180 दिवस के स्वीकृत प्रसूति अवकाश के निरन्तर में म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के अवकाश नियम 38-ग संतान पालन अवकाश के कंडिका 1 से 7 तक के आलोक में दिनांक 09.04.2023 से 13.10.2023 तक 188 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही /-
(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/1948 /

जबलपुर, दिनांक 21/04/2023

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमति प्रगति मिश्रा, Junior Judicial Translator, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(वैभव मंडलोई)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (ILR & Exam.)

ॐ